

बिहार सरकार
पथ निर्माण विभाग

अधि०सू०सं०-निग/सारा-4(पथ) आरोप-33/2024

4348 ५

पटना, दिनांक.....24/6/24

अधिसूचना

श्री सुमन सौरभ, सहायक अभियंता, पथ अवर प्रमंडल, कटौरिया, पथ प्रमंडल, बाँका के पदस्थापन काल में "सुल्तानगंज से दुम्मा कच्ची काँवरियाँ" पथ के कि०मी० 0.70 से 83.350 कि०मी० तक में श्रावणी मेला के अवसर पर पथ में मिट्टी कार्य, रेनकट मरम्मति, गंगा बालू बिछाई कार्य, पानी छिड़काव कार्य एवं विविध कार्य सहित मेला के दौरान पथ का अनुरक्षण कार्य वर्ष 2024-25 की जाँच उड़नदस्ता प्रमंडल संख्या-02 एवं 03 से करायी गयी। उड़नदस्ता प्रमंडल के जाँच प्रतिवेदन को निदेशक, प्रशिक्षण, परीक्षण एवं शोध संस्थान, पथ निर्माण विभाग, पटना द्वारा विभाग को उपलब्ध कराया गया। जाँच प्रतिवेदन की समीक्षोपरांत निम्नलिखित त्रुटियाँ/अनियमितता पायी गयी :-

(i) MB No.-1984 के पृष्ठ-8-9 पर Embankment Construction (Earth work) का Detailed Measurement को Record कर उसके कुल Quantity का 55% Quantity भुगतान हेतु दर्ज की गई, जिसका कोई मान्य आधार नहीं है, क्योंकि वास्तविक कार्य के आधार पर मापी पुस्त में दर्ज किया जाना चाहिए था।

(ii) उक्त कार्य से संबंधित तकनीकी स्वीकृति एवं तकनीकी अनुमोदन में मिट्टी कार्य की प्राक्कलित मात्रा का 50% अनुमान करते हुए मिट्टी कार्य की मात्रा की गणना की गई। प्रतिशत के आधार पर तकनीकी स्वीकृति प्रदान करने का प्रावधान नहीं रहने के बावजूद भी अनियमित रूप से तकनीकी स्वीकृति प्रदान की गयी।

(iii) मापी पुस्त संख्या-1988 के पृष्ठ-16 के अनुसार उपयोग में लायी गयी गंगा बालू की मात्रा 18494.459 m^3 है, जबकि इसके विरुद्ध मात्र 4515.33 m^3 गंगा बालू का Verified Challan उपलब्ध कराया गया है, जो काफी कम है। इस प्रकार कुल 13979.129 m^3 बालू का कार्य में किये गये उपयोग का ई-चालान समर्पित नहीं किया गया, जिससे प्रत्यक्ष रूप से सरकारी राजस्व की क्षति हुई है एवं खान एवं भूतत्व विभाग के पत्रांक-4557 दिनांक 11.09.2023 तथा पत्रांक-4418 दिनांक 19.10.2024 में निहित प्रावधान का उल्लंघन है। कार्य में/कार्य के प्रवर्धन में/कार्य के भुगतान की प्रक्रिया में संबंधित अभियंताओं द्वारा इस कार्य में अवैध खनन को बढ़ावा दिया गया।

(iv) खान एवं भूतत्व विभाग के पत्रांक-4557 दिनांक 11.09.2023 में निहित प्रावधान के अनुसार अवैध रूप से खनन, परिवहन एवं भंडारण किए गए लघु खनिजों के उपयोग को रोकने एवं राजस्व को अपवंचन (evasion) रोकने हेतु ऐसे संवेदकों की पूर्ण सूची एवं चालान सत्यापन से संबंधित सूची संबंधित जिला खनन कार्यालय को दी जानी चाहिए थी, जो नहीं दी गई।

2. उक्त पायी गयी त्रुटियों/अनियमितताओं के लिए श्री सौरभ से विभागीय पत्रांक-6024 (एस) अनु० दिनांक-28.11.2024 द्वारा सामान्य स्पष्टीकरण पुछा गया। श्री सौरभ द्वारा पत्रांक-शून्य दिनांक-16.12.2024 के द्वारा स्पष्टीकरण उत्तर समर्पित किया गया। स्पष्टीकरण उत्तर के समीक्षोपरांत

अस्वीकृत करते हुए श्री सौरभ के विरुद्ध उक्त आरोपों के लिए आरोप पत्र गठित कर विभागीय पत्रांक-3912 (एस) अनु० दिनांक-16.05.2025 द्वारा स्पष्टीकरण पुछा गया। उक्त के आलोक में श्री सौरभ के पत्रांक-शून्य दिनांक-27.05.2025 द्वारा स्पष्टीकरण उत्तर समर्पित किया गया, जिसमें उनके द्वारा मुख्य रूप से निम्न तर्कों/तथ्यों को रखा गया :-

(i) (a) उक्त कार्य की तकनीकी अनुमोदन हेतु तैयार किये गये प्राक्कलन में मिट्टी कार्य की प्राक्कलित मात्रा 50% अनुमान करते हुए मिट्टी कार्य की मात्रा की गणना नहीं की गई है, बल्कि इनके द्वारा वास्तविक आवश्यकता को देखते हुए क्रास-सेक्सन के आधार पर मिट्टी की मात्रा की गणना की गई है।

(b) कार्य संपन्न होने के उपरान्त मापी पुस्त में वास्तविक मिट्टी की मात्रा का ही मापी दर्ज कि गई है। मापी पुस्तिका संख्या-1984 के पृष्ठ-08 एवं-09 में अंकित है कि- "MB नं०-1984 के पृष्ठ-08 एवं 09 में Embankment Filling का Measurement को स्थल पर कि०मी० 82, 79, 75, 67 एवं 63 में संबंधित सहायक अभियंता एवं कनीय अभियंता द्वारा दिखाये गये स्थल पर पाया गया"।

(c) तकनीकी अनुमोदन में मिट्टी की मात्रा को 50 प्रतिशत स्वीकृत किये जाने के कारण वास्तविक मिट्टी की मात्रा 1094.40 m³ का भुगतान किया जाना संभव नहीं है। ऐसा करने पर अतिरिक्त मिट्टी की मात्रा की भुगतान की राशि में काफी बढ़ोतरी हो जाती और variation 20 प्रतिशत से अधिक हो जाता है, जो विभागीय हित में नहीं होता। MB में वास्तविक कार्य के आधार पर मिट्टी की मात्रा दर्ज कर इसके भुगतान करने पर सरकार को राजस्व की बचत हुई है।

(d) MB नं०-1988 के पृष्ठ-13 एवं 14 में मद सं०-01 Embankment Construction with material obtained from borrow pits की एकरारनामित मात्रा-6436.955 m³ के विरुद्ध Overall Quantity-6316.985 m³ का ही भुगतान हेतु अग्रसारित किया गया, जो कि एकरारनामित मात्रा से 122.970 m³ कम है, जिससे किसी प्रकार की वित्तीय क्षति की भी संभावना नहीं बनती है।

(ii) रॉयल्टी की कटौती और सत्यापन का कार्य प्रमंडल स्तर का है, जिसकी सम्पुष्टि बिहार लोक निर्माण लेखा संहिता के कंडिका-245 से होती है, जिसमें अंकित है कि **"If the Subdivisional Officer is not empowered to make the payment, the bill should be submitted with the measurement book to the Divisional Officer where the payment will be authorized and the pay order signed by the Divisional Officer after the necessary scrutiny."**

Note 1- The Subdivisional Officer should sign the bill and the measurement book at the end of the abstract in token of this acceptance of the general responsibility for the entries recorded therein."

(iii) खान एवं भूतत्व विभाग, बिहार सरकार के पत्रांक-4587 दिनांक-11.09.2023 में अंकित है कि "जिला स्तर पर कार्यपालक अभियंताओं को आपके विभाग/निगम की स्वीकृत परियोजनावार निष्पादित कार्य पर स्वामित्व (Royalty) एवं मालिकाना (Seigniorage) शुल्क की गणना का प्रतिवेदन जिला खनन पदाधिकारी को प्रतिमाह उपलब्ध कराए जाने का निदेश अंकित है।" जिससे स्पष्ट है कि आरोप सं०-(iv) इनसे संबंधित नहीं है।

3. श्री सौरभ द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण उत्तर की विभाग द्वारा समीक्षा की गयी। समीक्षोपरान्त पाया गया कि आलोच्य कार्य से संबंधित MB नं०-1984 के पृष्ठ-08 एवं 09 पर कुल मात्रा 1094.40 m³ के विरुद्ध 55 प्रतिशत भुगतान हेतु मापी दर्ज की गयी। मापी पुस्त में कुल मिट्टी कार्य 1094.40 m³ के विरुद्ध 55 प्रतिशत अर्थात् 601.92 m³ मिट्टी कार्य के भुगतान हेतु MB में अंकित किया गया। नियमतः MB में वास्तविक कार्य के विरुद्ध भुगतान हेतु मापी दर्ज की जाती है। इस प्रकार श्री सौरभ के द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण उत्तर स्वीकार योग्य नहीं पाया गया।

4. अतएव उपर्युक्त के आलोक में श्री सुमन सौरभ, सहायक अभियंता, पथ अवर प्रमंडल, कटौरिया, पथ प्रमंडल, बाँका के द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण उत्तर पत्रांक-शून्य दिनांक-27.05.2025 को सम्यक विचारोपरांत अस्वीकृत करते हुए उनके विरुद्ध बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली-2005 के नियम 14 (v) के तहत निम्नलिखित दण्ड संसूचित किया जाता है :-

(i) "संचयी प्रभाव के बिना 01 (एक) वार्षिक वेतन वृद्धि पर रोक"।

5. प्रस्ताव पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

ह०/-

सरकार के उप सचिव,
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।
पटना, दिनांक :-

ज्ञापांक :- निग/सारा-4(पथ) आरोप-33/2024

प्रतिलिपि :- प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वै० दा० नि० को०) विभाग, बिहार, पटना/महालेखाकार (ले० एवं हक०), बिहार, पटना को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/-

सरकार के उप सचिव
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।
पटना, दिनांक :-

ज्ञापांक :- निग/सारा-4(पथ) आरोप-33/2024

प्रतिलिपि :- सचिव, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना/सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना/सचिव, भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना/विशेष सचिव, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना/अभियंता प्रमुख (कार्य प्रबंधन), पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना/अभियंता प्रमुख (मुख्यालय), पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना/सभी मुख्य अभियंता, पथ निर्माण विभाग, पटना/अधीक्षण अभियंता, पूर्व बिहार पथ अंचल, भागलपुर/कार्यपालक अभियंता, पथ प्रमंडल, बाँका/उप सचिव (प्र०को०), पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना/अवर सचिव (मु०/लेखा)/प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा-1/2/6/13/14, एवं लेखा शाखा (प्रशाखा-30), पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना एवं श्री सुमन सौरभ, सहायक अभियंता, पथ अवर प्रमंडल, कटौरिया, पथ प्रमंडल, बाँका को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

निबंधित

ह०/-

सरकार के उप सचिव,
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक:- निग/सारा-4(पथ) आरोप-33/2024

4349 (3)

पटना, दिनांक :- 24/6/26

प्रतिलिपि :- आईटी0 मैनेजर, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना को विभागीय web-site पर प्रदर्शित करने हेतु प्रेषित।

Chintu
24.6.26

सरकार के उप सचिव,
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।
*et